Form No.3

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम भुसावर

दीपक बनाम शंकर वगै.

किस्म मुकदमा. प्रा. पत्र धारा 212 RTA नं. 161 सन् 2024 जीसीएमएस नं. 444

तारीख हुक्म	हुक्म का कार्यवाही इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.11.24	वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 RTA के तहत पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होवे। अप्रार्थीगण की तलबी प्रार्थी द्वारा तलवाना पेश करने पर जरिए रजिस्टर्ड डाक से जारी होवे। पत्रावली दिनांक 26.12.2024 को पेश हो। (राधेश्याम मीणा) उपखण्ड अधिकारी भुसावर (भरतपुर)	
26.12.24	वकील वादी श्री [illegible] फरीकान उपस्थित/अनुपस्थित, उपस्थित अधिवक्ता [illegible] पर है। अतः पत्रावली वास्ते ..... दिनांक 17/01/25 को पेश हो	
17/01/25	आज यह पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी द्वारा तलबी एडी० अप्राप्त इन्तजार एडी पत्रावली दि० 07.02.25 को पेश हो	
07.02.25	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित है। प्रति वादी। गैर हाजिर प्रो. एक्ट का तामील डाक का रूटेट से पेश किया गया जो सलंग वारंट वारंट तामील अप्रार्थी उपस्थित नहीं आया। अतः अप्रार्थी 1 के विरुद्ध कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई जाती है।	

---- [illegible]

हमने प्रार्थना पत्र 212 RTA पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का गौर अध्ययन किया गया तो पाया कि भूमि का बाकी मीरास एवं बाकशु विभाजन नहीं हुआ है सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाना वाजिब है ऐसी सूरत में अनावश्यक मुकदमा बाजी बेचने एवं कानूनी पेचीदगियां पैदा नहीं हो इनको ध्यान में रखते हुए प्रा० पत्र प्रार्थी स्वीकार किया उचित समझते है

अतः अपीली संख्या एक के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आ० खण्ड 2243, 2251/3942, 3293 बाबेता पैमाना तहसील मुकाम पर इस आशय की जारी की जाती है कि उभय विवादित आराजी की ता फैसला मूल वाद रिमांड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

निर्णय आज दिनांक 07.02.25 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

राधेश्याम मीणा
उपखण्ड अधिकारी
मुरलीपुरा (जयपुर)